न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमानम्बर 46/2020 निर्णय दिनांक 18.09.2020

तिलोकाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ

------वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री डूँगरगढ

-----प्रतिवादी

उपस्थिति-

1. श्री राजाराम नैण अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह प्रार्थना पत्र तिलोकाराम ने जरिये अधिवक्ता राजाराम नैण के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1566/453 तादादी 9.8600 हैक्टेयर रोही मोजा बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की सयुक्त खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई-बहिन क्रमशः कुना, किस्तुरी, चौथी, तिजा, प्रभूराम, भवरलाल, मालाराम, हनुमानाराम के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 5/27 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 26.08.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 1566/453 तादादी 9.8600 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से गोपीराम पुत्र सुखाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही तिलोकाराम पुत्र सुखाराम रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम गोपीराम अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी की खातेदारी का अन्य खेत खसरा नम्बर 614, 615, 660, 662, रोही मौजा धीरदेसर चौटियान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम तिलोकाराम पुत्र सुखाराम दर्ज है। प्रार्थी अनपढ़ व कृर्षि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान-पत्र में प्रार्थी का नाम तिलोकाराम पुत्र सुखाराम अंकित चला आ रहा है सरपंच ग्राम पंचायत धीरदेसर चौटियान द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2020 में भी प्रार्थी का नाम तिलोकाराम अंकित है। यानि खसरा नम्बर 1566/453 तादादी 9.8600 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्तावेजो में प्रार्थी नाम तिलोकाराम अंकित चला आ रहा है उपरोक्त सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का 5/27 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम तिलोकाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम गोपीराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 26.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम तिलोकाराम है मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से गोपीराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम तिलोकाराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:—

खेत खसरा नम्बर 1566/453 तादादी 9.8600 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम गोपीराम अंकित हुआ है उसकी जगह तिलोकाराम पुत्र सुखाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1566/453 तादादी 9.8600 हैक्टेयर वाके रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ में अंकित नाम गोपीराम पुत्र सुखाराम की जगह शुद्ध नाम तिलोकाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ का नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें ।

आदेश आज दिनांक 18.09.2020 मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश सुनाया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूॅगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)